[श्री गुलाम मोहम्मद खा]

नाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। बरेली-आगरा पैसेन्जर गाड़ी में चन्दौसी से दिल्ली जाने के लिए टिकट तो एक्सप्रैस का लेना पड़ता है, जबकि अलीगढ़ तक 100 किलोमीटर का सफर पैसेन्जर से करना पड़ता है इसके अतिरिक्त यह गाड़ी प्राय: लेट चलती है। इसका नतीजा यह होता है कि लखनऊ एक्सप्रेस से इसका मिलान नहीं हो पाता और लोगों को दूसरी गाड़ी के लिए कई घंटे इन्तजार करना पड़ता है और उनको कठिनाई का पारावार नहीं रहता।

बरेली से अलीगढ़ जो लगभग दो सौ किलोमीटर फासला है इसके लिए अभी कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जबकि पांच जिले—बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, बुलन्दशहर और अलीगढ़ का आधा हिस्सा इस ब्रांच के अन्तर्गत आता है।

अत: रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि इन कठिनाइयों की ओर शीघ्र ध्यान देकर उपरोक्त क्षेत्र की जनता के लिए एक फास्ट अप और एक डाउन ट्रेन दिल्ली, अलीगढ़, चन्दौसी, बरेली, होती हुई लखनऊ की ओर तुरन्त शुरु की जाए, तो दिवाई, बबराला, बहजोई, चन्दौसी आंवला आदि इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख मंडियों के व्यापारियों और जन साधारण को काफी सुविधा हो जाएगी और वे सरकार और रेल मंत्रालय के आभारी रहेंगे।

(iii) DEATH OF A MANAKPURA RESIDENT OF DELHI IN MYSTERIOUS CIRCUMSTANCES

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : नियम 377 के अधीन मैं सार्वजनिक महत्व के विषय पर निम्नलिखित मामला आज सदन में उठाना चाहता हूं :—

दिल्ली में एक और नौजवान रहस्यमय परिस्थिति में मृत घोषित किया गया। मानकपुरा का निवासी राजकुमार, सब्जीमण्डी रेलवे स्टेशन पर सब्जी बेच कर अपनी गुजर बसर करता था। होली के दिन मानकपुरा में उसका कुछ पुलिस वालों से झगड़ा हो गया बताया जाता है, उसके बाद राजकुमार का पता ठिकाना नहीं लगा।

पुलिस ने राजकुमार के घर वालों को थाने में बुला कर पूछताछ की और उन्हें परेशान भी किया बताया जाता है। यह प्रक्रिया 15 दिनों तक चलती रही। प्रति दिन शाम को पुलिस वाले राजकुमार के घर आते रहे और उसका पता ठिकाना पूछते रहे। अचानक 25 अप्रैल से पुलिस वालों ने राजकुमार के घर आना बन्द कर दिया। इससे घर वालों को शक हुआ कि राजकुमार का पता लग गया है और वह पुलिस की हिरासत में है। किन्तु जब घर वाले पूछताछ के लिये पुलिस थाने पर गये तो उन्हें टाल दिया गया।

28 अप्रैल, 1981 को पुलिस ने राजकुमार के घर वालों को खबर दी कि राजकुमार ने आत्म हत्या कर ली है। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि मरने से पहले राजकुमार ने अपनी कलाई पर लिखा कि वह आत्म हत्या करने जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। किन्तु कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शरीर पर चोटों के निशान थे। कलाई पर आत्म हत्या करने की बात लिखना भी गले के नीचे नहीं उतरती।

पुलिस के भय से घर वाले राजकुमार की मौत पर कुछ कहने के लिये तैयार नहीं हैं। पड़ोसी भी सहमें हुए हैं।

सवाल यह है कि पुलिस ने राजकुमार को किस तारीख को पकड़ा ? क्या उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया ? क्या राजकुमार के घर वालों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई ? वह हिरासत में कितने दिन था ? यदि पुलिस की हिरासत में उसने आत्म हत्या की तो उसे रोका क्यों नहीं गया ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है ?

दिल्ली में पुलिस हिरासत में रहस्यमय परिस्थितियों में मरने वाला राजकुमार पहला ही नौजवान नहीं है। दिल्ली के बाहर पुलिस मुठभेड़ दिखा कर अनचाहे लोगों का सफाया कर रही है और दिल्ली में हत्या को आत्म हत्या का रूप दे कर कानून और व्यवस्था के बारे में जनता के बचे खुचे विश्वास को भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही है।

मेरी मांग है कि राजकुमार की हत्या या आत्म हत्या की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच की जाय और इस सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय सदन में वक्तव्य दें।

(iv) STEPS TO SOLVE MOHI RIVER DISPUTE BETWEEN RAJASTHAN AND GUJARAT

श्री बुद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

माही नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात सरकारों के दरमियान सन 1966 में एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत कडाना बांध 419 फीट की ऊंचाई पर राजस्थान प्रान्त के बासवाडा जिले में बन कर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेडे जिले को सिंचित करने के लिये दिया गया था। उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करने के बाद में खेडा जिला नर्मदा से सिंचित किया जायेगा और माही का पानी कडाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सब से सूखे इलाके बाड़मेर और जालौर में काम आयेगा।

गुजरात में सन 1980 में बनाई गई योजना में उक्त समझौते की अवहेलना कर के खेड़े जिले को नर्मदा से सिंचित न करके माही से सिंचित करना प्रस्तावित किया है। यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की कार्यवाही 1966 में दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने की माही ही एक मात्र कम खर्चे में पहुंचाने का उपाय है। परन्तु गुजरात सरकार द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उस से राजस्थान प्रान्त के और विशेषतः बाड़मेर एवं जालौर जिलों में घोर असन्तोष है।

राजस्थान प्रान्त को भी नर्मदा में माकूल हिस्सा नहीं मिला है जो राजस्थान सरकार ने मांग की थी, सिर्फ उसका चौथाई हिस्सा मिला है।